कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/48/2025

रघुसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति ठाकुर निवासी रुदावल तहसील रुदावल जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू0अभि. अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 17.09.2025**

रघुसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति ठाकुर निवासी रुदावल तहसील रुदावल जिला भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत एक अपील लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू.अभि. अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से सम्बन्धित इस आश्य की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.6.2025 में चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/ 2025/758 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू.अभि. कलेक्ट्रेट, भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी भू.अभि. अनुभाग कलेक्ट्रेट, भरतपुर का जबाब पत्र कंमाक/एल.आर./रिकार्ड/आटीआई/09/2023/6552 दिनांक 15.9.2025 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र तारीख 17/06/2025 का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निम्न तीन बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है–

1–राजस्व में दाहित्रा शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता है।
2–राजस्व खातेदारी में नाती के लिए प्रयुक्त दाहित्रा शब्द का उल्लेख सही है या गलत है।
3–पिता की मृत्यु के बाद बाबा की मृत्यु होने पर बाबा की सम्पत्ति नाती के नाम आने पर दोहित्रा शब्द लिखा जाता है या नवीरा।

अपील में प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त चाही गई सूचना उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, सूचना उपलब्ध कराये जाने की

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थना की गई है। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू.अभि. अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ".....आवेदक श्री रघुसिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.6.2025 में व्याख्यात्मक व प्रश्नात्मक शैली में आवेदन किया गया था जो प्रशासनिक सुधार एवं सामान्य विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज. जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22)प्र.सु./सू.अ.प्र./06 दिनांक 2.2.2009 के दायरे में होने के कारण आवेदन के प्रत्युत्तर में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र कमांक 4807 दिनांक 9.7.25 से आवेदक को लिखित में प्रत्युत्तर भिजवाया जा चुका है.....।"

लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह उनके कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है, इस बाबत प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 4807 दिनांक 9.7.25 से सूचित किया गया है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्रादेश कमांक प.3(22) प्र.सु/सूअप्र/06 दिनांक 2–2–2009 के पेरा–3 में :– में स्पष्ट है –

> ".....नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण,नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है.....।"

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर